हाई कोर्ट ने आरोपी लकी राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

निर्दोष लोगों के नाम पर बैंक खाते खोलकर लाखों की ठगी

नागपुर. बैंक खाते खुलवाकर उनके जरिए लाखों रुपये के अवैध लेन-देन करने वाले एक गिरोह के मामले में आरोपी लकी राजेंद्र राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दी. मामले की सुनवाई करते हुए न्या. प्रवीण पाटिल की अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और मामले की तह तक जाने के लिए आरोपी से पुलिस हिरासत में पूछताछ करना अत्यंत आवश्यक है. कलमना पुलिस थाना में दर्ज मामले के अनुसार शिकायतकर्ता एक सैलून चलाता है. मार्च 2025 में जब वह लोन लेने के लिए बैंक खाता खुलवाना चाहता था, तब उसके परिचित आनंद कुमार वर्मा ने उसकी मुलाकात आरोपी लकी राजेंद्र राठौड़ से कराई थी. लकी राठौड़ ने खुद को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए खाता खुलवाने में सक्षम बताकर शिकायतकर्ता से उसके सभी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेज ले लिए.

कर्नाटक पुलिस के नोटिस से हुआ 37 लाख की ठगी का खुलासा

आरोपी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की विमान नगर शाखा, नागपुर में शिकायतकर्ता के नाम पर खाता (नंबर- 60527412238) तो खुलवा लिया, लेकिन उसे पासबुक और चेकबुक देने से आनाकानी करने लगा. शक होने पर जब शिकायतकर्ता ने बैंक जाकर पूछताछ की, तो उसे पता चला कि उसके खाते से उसका अपना मोबाइल नंबर नहीं, बल्कि किसी और का नंबर जुड़ा हुआ है. इस धोखाधड़ी का असली खुलासा जनवरी 2026 में हुआ, जब शिकायतकर्ता को कर्नाटक के %इंडी टाउन पुलिस स्टेशन% से एक नोटिस मिला. इस नोटिस में बताया गया कि उसके बैंक खाते के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन किए गए हैं और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (ब्नह्स) की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(डी) के तहत केस दर्ज किया गया है.

कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं

हैरान-परेशान शिकायतकर्ता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके बैंक खाते से 37,83,086 रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ है, जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं है और इसके पीछे खाता खुलवाने वाले लकी राठौड़ का हाथ है. इसके बाद कलमना पुलिस ने 14 मई 2026 को आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66(स), 66(ए) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4) के तहत मामला दर्ज किया था. आरोपी लकी राठौड़ ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए तर्क दिया कि उसका काम सिर्फ खाता खुलवाना था और उसने ऐसा बिना किसी गलत इरादे के किया था. साथ ही, उसने दावा किया कि उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

सरकारी पक्ष का कड़ा विरोध

हालांकि, सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी ने इसी तरह कई भोले-भाले और निर्दोष लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम पर खाते खुलवाए हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध कामों के लिए किया गया है[4, 11]. सरकारी वकील ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत मिल जाती है, तो जांच अधिकारी इस रैकेट की ठीक से जांच नहीं कर पाएंगे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसले में कहा कि चूंकि आरोपी और उसके साथियों ने निर्दोष लोगों को ठगा है और उनके नाम पर खाते खोलकर बड़े लेनदेन किए हैं, इसलिए यह एक गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है. इस रैकेट का पूरी तरह से भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है और इसी आधार पर अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

संपत्तियों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं

केंद्रीय मंत्री गडकरी और पालक मंत्री बावनकुले ने अफवाहों का किया खंडन

नागपुर. जिले में संपत्तियों और घरों की रजिस्ट्री रुकने को लेकर फैली अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया है कि संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है. यह भी स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अन्य किसी भी मंत्री ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है. केंद्रीय मंत्री गडकरी के महल स्थित कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में यह स्पष्टीकरण दिया गया. इस बैठक में नाग नदी परियोजना के कार्यों और इमारतों के अधिभोग प्रमाणपत्र (ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट) जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नए घरों की रजिस्ट्री रोकने का कोई निर्देश नहीं है और यदि पुराने नियमों के अनुसार सभी कानूनी दस्तावेज व आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो घरों की रजिस्ट्री सुचारु रूप से की जा रही है.

3,243 इमारतों के पास नहीं है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट

यह बताया गया कि बड़ी इमारतों के निर्माण अनुमति प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र (हृष्ट) से जुड़े मुद्दों के कारण ही आम लोगों में रजिस्ट्री रुकने की गलतफहमी पैदा हुई थी. बैठक में उजागर हुए चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार नागपुर शहर में 3,669 इमारतों के निर्माण में से केवल 426 इमारतों के लिए ही अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) लिया गया है. इसका सीधा अर्थ यह है कि शहर की शेष 3,243 इमारतों के पास अधिभोग प्रमाणपत्र ही नहीं है.

लापरवाह बिल्डरों पर होगी सख्त कार्रवाई

इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन इमारतों के पास अधिभोग प्रमाणपत्र नहीं हैं, उन्हें तुरंत नोटिस जारी किया जाए और 4 महीने के भीतर इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए. बैठक में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि कई आम निवासियों ने अधूरे दस्तावेजों के आधार पर ही बैंकों से कर्ज लेकर घर खरीद लिए हैं. ऐसे मामलों को लेकर गडकरी ने निर्देश दिया है कि इन निवासियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए लेकिन पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाए. हालांकि जो बिल्डर (निर्माण उद्योजक) अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा और उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी

एक नजर में

सेंनानियों के परिजनों ने किया ध्वजारोहण

मुलताई। अंग्रेजो भारत छोडो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में मुलताई के भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा हिस्सा लिया था। इसी की याद में बस स्टैंड पर स्मृति स्थल वट वृक्ष पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों प्रतिवर्ष ध्वजारोहण कर राष्ट्र गान किया जाता है। रविवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन श्रीमती खाडे, राजरानी परिहार, रविप्रकाश खड़के, राजेश तायवाडे, सुधीरपूरी, चिंटू खन्ना सहित पूर्व विधायक डॉ पीआर बोड़खे द्वारा राष्ट्रीय ध्वजा रोहण किया एवं राष्ट्रगान किया गया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलालेख पर फूलमाला अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेनानियों के परिजन और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

निलेश बने ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी ने निलेश गिरी गोस्वामी को ओबीसी मोर्चा का जिला महामंत्री नियुक्त किया है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव और सक्रिय भूमिका पर विश्वास जताते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्ति पर जिलेभर से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं मिल रही हैं। निलेश गिरी गोस्वामी पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सहमंत्री और बैतूल जिला संयोजक का दायित्व निभा चुके हैं। अभाविप में रहते हुए छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को वापस जोड़ने के प्रयास में उन्होंने साथियों के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2022 से वे स्वदेशी जागरण मंच जिला बैतूल में जिला युवा आयाम प्रमुख और जिला संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में बैतूल जिला केंद्र पर लगातार दो वर्षों तक वृहद स्वदेशी मेले का सफल आयोजन भी हुआ। गोस्वामी को नई जिम्मेदारी मिलने से पूर्व में उनके साथ संगठन में कार्य कर चुके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।

पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जिला पदाधिकारियों की घोषणा

मुलताई। प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में बैतूल जिला पदाधिकारियो की घोषणा की गई।

भाजपा मीडिया प्रभारी रामचरण मालवीय ने बताया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार के निर्देशानुसार नर्मदा पुरम संभाग प्रभारी निलेश कौशल, जिला प्रभारी अनुज पाटकर की अनुशंसा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार के अनुमोदन पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा बैतूल जिला में पदाधिकारी को दायित्व सौपे गये। जिसमें मुलताई विधानसभा क्षेत्र के विट्ठल गीद को जिला उपाध्यक्ष, परसराम खाकरे

> **विट्ठल गीद जिला उपाध्यक्ष, परसराम जिला महामंत्री बने**
>
> **नियुक्तियों पर भाजपाईयों ने दी बधाई**

को जिला महामंत्री, राजू चोपडे को जिला मंत्री, मुकेश वागद्रे को लाभार्थी जिला सह प्रमुख, राजेंद्र ठाकरे मन की बात जिला प्रभारी का दायित्व सौपा गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में मुलताई विधानसभा के कार्यकर्ताओं को नवीन दायित्व सौपे जाने पर वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए नव नियुक्त पदाधिकारियो को बधाई दी गई। बधाई देने वालों में विधायक चंद्रशेखर देशमुख, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगदीश पवार, नपा अध्यक्ष नीतू परमार, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू, जनपद पंचायत मुलताई अध्यक्ष नान्ही बाई डहारे, प्रभात पट्टन जनपद पंचायत अध्यक्ष सोनाली पटेल, दुनावा मंडल अध्यक्ष अमित पवार, प्रभात पट्टन मंडल अध्यक्ष सतीश धाकड़, मासोद मंडल अध्यक्ष विजय घोड़की, राजेश हिगवे सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल है।

ताप्ती जल से भोलेनाथ का किया अभिषेक

मुलताई। क्षेत्र के ग्राम चौथिया से बड़ी संख्या में ग्रामीण डीजे पर बज रहे भक्ति संगीत के साथ रविवार को पैदल ताप्ती तट पहुंचे एवं मां ताप्ती मंदिर सहित सरोवर पर पूजा अर्चना कर कावड में ताप्ती जल लेकर मां ताप्ती सरोवर की परिक्रमा करते हुए हर बोला हर हर महादेव एवं बम भोले के जयकारे लगाते हुए बारिश के बीच गांव में स्थित शिव मंदिर पहुंचे एवं विधि विधान से ताप्ती जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। श्रद्धालु बम भोले, हर-हर महादेव जैसे जयकारे लगाते हुए कावड़ यात्रा में शामिल हुए।

संपत्ति से अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश

हाई कोर्ट का कड़ा रुख धंतोली पुलिस और DCP से मांगा जवाब

नागपुर. हाई कोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी फटकार लगाते हुए एक अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने धंतोली स्थित राजकमल अपार्टमेंट की एक संपत्ति पर मूल कर्जदारों द्वारा लगाए गए अवैध तालों को तुरंत हटाने और संपत्ति के वैध मालिक को कब्जा दिलाने के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने पर धंतोली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और ज़ोन-2 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. याचिकाकर्ता विशाल जायसवाल ने धंतोली के पंचशील स्क्वायर, वर्धा रोड स्थित राजकमल अपार्टमेंट (शॉप नं.-7 और-8) को बैंक की नीलामी में खरीदा था.

बैंक से नीलामी में हुई थी खरीदी

मूल कर्जदारों ने इस संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से 1 करोड़ रुपये का लोन लिया था. लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था और इसे नीलामी के लिए रख दिया. याचिकाकर्ता इस नीलामी में सफल बोलीदाता रहा और 16 दिसंबर 2022 को बैंक ने उसे सेल सर्टिफिकेट जारी करते हुए संपत्ति का भौतिक कब्जा और चाबियां सौंप दी थीं.

पुलिस की घोर लापरवाही और अवैध कब्ज़ा

कानूनी रूप से संपत्ति का पूर्ण मालिक बनने के बावजूद याचिकाकर्ता को 17 जुलाई 2026 को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा जब मूल कर्जदारों ने गैरकानूनी तरीके से याचिकाकर्ता के तालों के ऊपर अपने ताले जड़ दिए. याचिकाकर्ता ने तुरंत धंतोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस सहायता मांगी लेकिन पुलिस स्टेशन अधिकारी ने इस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया और न ही मूल कर्जदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की

स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनीं बहनों का किया सम्मान

बैतूल। भारतीय युवा कांग्रेस के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर युवा कांग्रेस बैतूल विधानसभा अध्यक्ष प्रितेश गंगारे ने अनोखी पहल करते हुए स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहीं मेहनतकश बहनों का सम्मान किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं के संघर्ष, मेहनत और स्वाभिमान को सम्मान देते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में ऑटो चालक बहन पूनम निरपुरे, मीरा पवार और रिंकी पांडोले तथा रेलवे स्टेशन पर कुली का कार्य कर रहीं बहन दुर्गा बोरवार का श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि इन बहनों का संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भर बनने का जज्बा समाज के लिए प्रेरणादायी है। मेहनत, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही प्रत्येक बहन का सम्मान होना चाहिए। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रितेश गंगारे ने कहा कि संगठन सदैव मेहनतकश और स्वाभिमानी बहनों के सम्मान एवं अधिकारों की आवाज बनकर खड़ा रहेगा।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित सरस्वती स्कूल के छात्रों का किया सम्मान

नव भारत न्यूज

पांढुरना,9अगस्त, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उ. मा. के छात्र-छात्राओं ने विगत कुछ दिनों में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, विद्यालय को गौरवान्वित किया है,इन सभी छात्रों का स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया ।

स्कूल के प्राचार्य दिलीप राउत द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि पिछले माह एआईसी पाई हब और नीति आयोग द्वारा आयोजित टेकथॉन 2.0 जूनियर प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 24 टीमों ने भाग लिया, जिसमें शीर्ष 14 टीमें चुनी गई। इनमें विद्यालय की टीम सक्षम 2047 ने मध्यप्रदेश से तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस टीम के मेंटर और अटल लैब इंचार्ज आचार्य राहुल गायधने, संरक्षक के रूप में दीदी सुश्री कोमल घाटोड़े तथा

प्रतिभागी बहन वेदिका खबसे (11वीं मैथ्स), बहन हितेषी कोल्हे (11वीं बायो), बहन अक्षरा ठाकरे (10वीं) और भैया जयंत मैटांगले (9वीं) का सम्मान दिनांक 07 अगस्त 2026 को राजा रमण सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नॉलॉजी (आर आर सी ए टी), इंदौर में आयोजित समारोह में किया गया।

इस इस कार्यक्रम का उद्घाटन विजय भांगे (चेयरमैन, एआईसी पाई हब फाउंडेशन एवं डायरेक्टर, आर आर सी ए टी) के हस्ते हुआ। इस समारोह में डॉ अनुराग राय (सीईओ, एआईसी पाई हब फाउंडेशन, आर आर सी ए टी),श्री घोष (एआईआईएच फाउंडेशन एवं एक्रोपोलिस ग्रुप, इंदौर) इत्यादि कई दिग्गज व्यक्तियों ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया एवं विज्ञान जगत में निरंतर प्रगति करने की शुभकामनाएं दी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित डिस्ट्रिक्ट लेवल टूरिज्म क्विज कॉम्पिटिशन में पांढुरना एवं छिंदवाड़ा जिले के कुल 418 शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई स्कूल सम्मिलित हुए। यह प्रतियोगिता म.प्र. के पर्यटन स्थलों की जानकारी पर आधारित थी। यह प्रतियोगिता दो चरणों में पूर्ण हुई। इन दोनों चरणों के बाद मात्र छः विद्यालय चयनित हुए। जिसमें पांढुरना के सरस्वती स्कूल का पाँचवा स्थान रहा। इस प्रतियोगिता में 3 विजेता व 3 उपविजेता विद्यालय चयनित किए गए। इन चयनित विद्यालय के छात्र-छात्राओं को पर्यटन विभाग की ओर से म.प्र. के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा जिसके लिए आयोजकों द्वारा विद्यार्थियों को सर्वसुविधायुक्त गिफ्ट कूपन दिया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय से बहन सृष्टि यादव (9वीं), भैया वेदांत भादे (9वीं), भैया भूवन पराडकर (9वीं) विजेता रहे। इसके साथ ही युवा उत्सव एवं नशा मुक्ति भारत प्रतियोगिता में विद्यालय से बहन अदिती राऊत, बहन मयूरी कलंबे, बहन सलोनी पिंजारे, बहन श्रेया धामनकर, बहन गायत्री पठारे तथा भैया आर्यन निनावे विजेता रहे। इन सभी छात्र-छात्राओं का नगर के स्कूल परिसर में बीते 8 अगस्त को एक सादा किंतु गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया गया। इस समारोह में संस्था के अध्यक्ष दत्तात्रेय बनसोड, व्यवस्थापक जगदीश बुधराजा, सदस्या श्रीमती प्रज्ञाताई बनसोड, कोषाध्यक्ष शैलेश शाह, सहसचिव श्रीमति विजयाताई बोबडे, उपाध्यक्ष . शरद बनसोड, प्राचार्य दिलीप राऊत, प्रधानाचार्य उल्लास राऊत, श्रीमती सुदीप कौर, समिति के अन्य सदस्य एवं समस्त आचार्य, दीदियाँ सभी ने भैया-बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की और शुभकामनाएं प्रेषित की।

युथ कांग्रेस ने मनाया 66 वां स्थापना दिवस

सारनी। यूथ कांग्रेस के 66 वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर ध्वजारोहन कर पौधा रोपण किया। कांग्रेस कार्यालय सारनी में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश तिरुपति अरोलु एवं ब्लॉक युथ कांग्रेस अध्यक्ष गौत्तम नागले के नेतृत्व में भारतीय युवा कांगेस का 66वा स्थापना दिवस मनाया। युथ कांग्रेस के पदाधिकारियो ने कार्यक्रम में आये हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का पुष्पमाला से स्वागत किया। इस अवसर पर युथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश अरोलु एवं गौतम नागले ने कहा कि यूथ कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से

करी की देश के युवा की भारतीय राजनीती में युवाओं की भागीदारी बढे, और भारत का युवा सशक्त हो सके। जिला उपाध्यक्ष तिरुपति अरोलु एवं पूर्व यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेमन्त धोटे ने कहा कि यूथ कांग्रेस, कांग्रेस की रीड़ की हड्डी है यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पुरे देश मे हर बूथ पर मौजूद है और भारतीय राजनीती का अहम् हिस्सा है। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष बटेश्वर भारती,सुरेश पंड्या,भोला कांति, प्रदीप नागले, महासचिव वसीम खान हेमन्त धोटे , एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रोहन रघुवंशी सहित अन्य मौजूद थे।

ग्रामीणों की शिकायतों पर सोनेगांव पटवारी श्वेता पंवार निलंबित

मुलताई। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत ग्राम दुनावा में आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों में लापरवाही पाए जाने पर ग्राम सोनेगांव पटवारी हल्का नंबर 65, तहसील मुलताई की पटवारी श्रीमती श्वेता पंवार को कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। तहसीलदार मुलताई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन 7 अगस्त 2026 के आधार पर की गई कार्रवाई में बताया गया कि समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं। संबंधित पटवारी द्वारा इन मामलों में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई तथा कलेक्टर के समक्ष भी संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा फौती नामांतरण जैसे प्राथमिकता वाले प्रकरणों की समय पर जांच नहीं करने तथा राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखने के दायित्व का समुचित निर्वहन नहीं करने की बात भी सामने आई। ग्रामीणों द्वारा लिखित शिकायतें भी प्रस्तुत की गई थीं। मुख्यालय पर अनुपस्थिति एवं फोन नहीं उठाने के कारण ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित आवश्यक प्रकरणों में रिपोर्ट एवं हस्ताक्षर समय पर नहीं होने से आमजन के कार्य प्रभावित होने की शिकायत भी सामने आई। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में भी आवेदकों द्वारा पटवारी के गैर-जिम्मेदाराना रवैये और फोन नहीं उठाने की पुष्टि की गई। इन मामलों को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 के नियम 9 के तहत अनुविभागीय अधिकारी मुलताई द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में श्रीमती श्वेता पंवार का मुख्यालय तहसील कार्यालय प्रभातपट्टन निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उन्हें अपना संपूर्ण शासकीय प्रभार एवं अभिलेख तत्काल गौरव खाड़े, पटवारी ग्राम सिपाया, पटवारी हल्का नंबर 66, तहसील मुलताई को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

> **कलेक्टर सौरभ संजय सोनवणे ने की कार्रवाही**
>
> **निलंबन अवधि में तहसील प्रभातपट्टन निर्धारित किया**

जिले में 12 साल पहले मिले थे मलेरिया के 4246 मरीज, अब मिले सिर्फ दो

नवभारत न्यूज

बैतूल, 9 अगस्त. मच्छरजनित बीमारियों के फैलाव के मामले में राहत भरी स्थिति सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और लोगों के सेहत के प्रति सावधानी बरतने के फलस्वरूप जिले में मलेरिया के सिर्फ दो मरीज सामने आये है।

> **स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता से नियंत्रित हुआ मलेरिया**
>
> **मलेरिया कम करने लोगों को किया जागरूक**

यह मरीज भी बाहर से आए हुए है। जबकि बीते 12 साल पहले मलेरिया की स्थिति बेहद चिंताजनक थी। वर्ष 2014 में जिले में 4246 मरीज मिले थे। लेकिन साल दर साल मलेरिया रोगियों की तादाद में भारी गिरावट आने का कारण सावधानी बरतना रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक और व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर लोग अधिक गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस साल मच्छरों से होने वाली संक्रामक बीमारियों का लोग कम शिकार हुए हैं। मलेरिया विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमें लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को मच्छरजनित बीमारियां की रोकथाम के लिए जागरूक करती रहीं हैं। मलेरिया विभाग द्वारा मलेरिया हाइरिस्क जोन के गांव में घर घर मच्छरमार दवा का छिड ?ाव तथा पानी भरने वाले स्थानों पर छिड ?ाव कराया गया। मच्छर का लार्वा खाने वाली गम्बूशिया मछली डाली गई और लार्वा सर्वे तथा मलेरिया रोगी के घरों के आसपास सर्वे हुआ है। इस वजह से लोग बीमारियां से बचे रहे।

जून से अक्टूबर तक आते हैं सबसे ज्यादा मरीज : डॉक्टरों के मुताबिक जून से अक्टूबर माह तक डेंगू और मलेरिया का सबसे पीक सीजन होता है। बारिश के मौसम में जलजमाव से मच्छरों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। बर्तनों में 15 दिनों से अधिक समय तक पानी भरा रहने पर इसमें डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का लार्वा पनपने लगता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का अमला घरों में जाकर जमा पानी को फेंकने की सलाह देता है। विभाग आबादी क्षेत्रों में पानी वाले स्थानों पर दवा का छिड ?ाव कर लार्वा को नष्ट कराता है। जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र सिंह राजपूत के अनुसार, वर्ष 2016 में बैतूल आने के समय मलेरिया नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय जिले की भौगोलिक स्थिति भी बीमारी के प्रसार के लिए अनुकूल थी। घने जंगल, दुर्गम गांव, खराब सडकें और बारिश में कट जाने वाले रास्तों के कारण स्वास्थ्य टीमों को कई जगह पहुंचने में परेशानी होती थी।

कोरोना काल से आई मलेरिया मरीजों में कमी : जिले में कोरोना काल के समय और उसके बाद मलेरिया-डेंगू के मरीजों में तेजी से कमी आई है। वर्ष 2019 में जहां 84 मरीज जिले में मलेरिया के मिले थे, वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और लोगों के सेहत के प्रति सावधानी बरतने के फलस्वरूप मरीजों की संख्या घटकर वर्ष 2020 में 19 मरीज हो गई थी। वर्ष 2021 में 6, वर्ष 2022 में 4, वर्ष 2023 में 4, वर्ष 2024 में 5, वर्ष 2025 में 6 और वर्ष 2026 में अभी तक सिर्फ दो मरीज सामने आये है। इस साल मलेरिया रोगियों की तादाद में भारी गिरावट आने का कारण स्वास्थ्य महकमा एहतियात के उपायों पर प्रभावी अमल के साथ ही आमजन द्वारा सावधानी बरतना बता रहा है।

6 माह में हुई 1 लाख 17 हजार जांचे

मलेरिया विभाग द्वारा 30 जून तक जिले में 1 लाख 17 हजार लोगों की जांच की। जिसमें मलेरिया का एक भी मरीज जिले में नहीं पाया गया। वहीं डेंगू की 46 जांचे की गई। हालांकि बैतूल जिला मलेरिया-डेंगू प्रभावित जिला रहा है। यहां पहले बड़ी संख्या में मरीज सामने आते थे। कई मरीजों की जान भी मलेरिया-डेंगू की वजह से जा चुकी है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एक तरफ से जिले में मलेरिया का खत्म ही हो चुका है। अन्यथा दस साल पहले वर्ष 2016 में बैतूल जिले में मलेरिया के 1946 मरीज सामने आये थे। इसके बाद धीरे-धीरे मरीजों की संख्या में कमी आने लगी। अब हालात यह है कि इस साल मलेरिया के सिर्फ दो मरीज सामने आये है। यह मरीज भी बाहर से आए थे, जो उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके है।

> जिले में मलेरिया काफी नियंत्रित है। इस साल 30 जून तक सिर्फ दो मरीज मलेरिया के मिले थे। यह मरीज भी बाहर से आये थे। इसके अलावा डेंगू के 7 मरीज सामने आये थे, जो अब उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके है। मलेरिया में कमी का सबसे कारण विभाग की सतर्कता और लोगों में स्वस्थ के प्रति जागरूकता है।
>
> **- जितेन्द्र राजपूत,** जिला मलेरिया अधिकारी, बैतूल

डेंगू के भी मिले थे 7 मरीज, सभी स्वस्थ

जिले में इस साल 30 जून तक मलेरिया के अलावा डेंगू के भी 7 मरीज मिले थे। यह मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके है। इसके अलावा मलेरिया के दो मरीज सामने आये थे। यह दोनों मरीज बाहर से आए थे। इन मरीजों में एक मरीज घोड़ाडोंगरी और एक मरीज शाहपुर ब्लाक का था। वहीं डेंगू के मरीजों में सेहरा के दो मरीज, घोड़ाडोंगरी के दो मरीज, आमला के 2 मरीज और 1 भैंसदेही ब्लाक का मरीज शामिल है। मलेरिया विभाग का कहना है कि विभाग ने शुरू से सतर्कता बरतते हुए मैदानी स्तर पर एहतियाती उपाय कर लिए गए थे। मैदानी कार्यकर्ताओं के साथ ब्लाक व जिला स्तर तक अधिकारियों ने तालमेल से काम किया। सबसे बड़ी बात इस बार आम लोग अपनी सेहत की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाते हुए पूरी सावधानी बरत रहे हैं।